



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274184  
CG-DL-E-06072026-274184

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]  
No. 427]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1559) .— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 1448 [ पी : 23 ] : 2004 आई एस ओ 3837 : 1993 पेट्रोलियम और उसके उत्पादों की परीक्षण पद्धति [ पी : 23 ] द्रवित पेट्रोलियम उत्पाद — हाइड्रोकार्बन किस्में ज्ञात करना — प्रतिदीप्त सूचक अधिशोषण पद्धति (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जून 2026	22 जून 2026	21 दिसम्बर 2026

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	आई एस 1448 (भाग 29) : 2021 आई एस ओ 6246 : 2017 पेट्रोलियम एवं उसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 29 पेट्रोलियम उत्पाद — ईंधन की गोंद सामग्री — जेट वाष्पीकरण विधि (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जून 2026	22 जून 2026	21 दिसम्बर 2026
3	आई एस 1460 : 2025 मोटर वाहन डीजल ईंधन — विशिष्टि (सातवाँ पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जून 2026	22 जून 2026	21 दिसम्बर 2026
4	आई एस 15462 : 2019 पॉलीमर परिवर्तित बिटुमेन ( पी एम बी ) — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जून 2026	22 जून 2026	21 दिसम्बर 2026
5	आई एस 17079 : 2019 रबड़ परिवर्तित बिटुमेन ( आर एम बी ) — विशिष्टि	संशोधन संख्या 2 जून 2026	22 जून 2026	21 दिसम्बर 2026
6	आई एस 19412 : 2025 इन्सेन्स स्टिक (अगरबत्ती) — विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 जून 2026	22 जून 2026	21 दिसम्बर 2026

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./196/2026-27]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**(Department of Consumer Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

**Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1559)** .— In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

## SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 1448 [P : 23] : 2004 ISO 3837 : 1993 Methods of Test for Petroleum and Its Products [P: 23] Liquid Petroleum Products — Determination of Hydrocarbon Types — Fluorescent Indicator Adsorption Method (Fourth Revision)	Amendment No. 2 June 2026	22 June 2026	21 December 2026
2	IS 1448 (Part 29) : 2021 ISO 6246 : 2017 Methods of Test for Petroleum and its Products Part 29 Petroleum Products — Gum Content of Fuels — Jet Evaporation Method (Fourth Revision)	Amendment No. 1 June 2026	22 June 2026	21 December 2026
3	IS 1460 : 2025 Automotive Diesel Fuel — Specification (Seventh Revision)	Amendment No. 2 June 2026	22 June 2026	21 December 2026
4	IS 15462 : 2019 Polymer Modified Bitumen (PMB) — Specification (First Revision)	Amendment No. 2 June 2026	22 June 2026	21 December 2026
5	IS 17079 : 2019 Rubber Modified Bitumen (RMB) — Specification	Amendment No. 2 June 2026	22 June 2026	21 December 2026
6	IS 19412 : 2025 Incense Sticks ( <i>Agarbatti</i> ) — Specification	Amendment No. 1 June 2026	22 June 2026	21 December 2026

CHITRA GUPTA, Scientist G &amp; DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./196/2026-27]



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274230  
CG-DL-E-07072026-274230

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]  
No. 439]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1566) .— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 4246 : 2025 द्रवित पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हे और निर्मित हॉब्स — विशिष्टि (छठा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जून 2026	29 जून 2026	28 दिसम्बर 2026

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक एफ़ एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)  
[विज्ञापन-III/4/असा./208/2026-27]

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

**Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1566)** .— In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

## SCHEDULE

SI No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 4246 : 2025 Domestic Gas Stove and Built in Hob for Use with LPG — Specification (Sixth Revision)	Amendment No. 1 June 2026	29 June 2026	28 December 2026

S. K. VERMA, Scientist F & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Exty./208/2026-27]